निष्कर्ष

इस शोध ग्रन्थ में राजस्थान राज्य की विधानसभा किस प्रकार से अपना कार्य करती है और अब तक जिन विधानसभाओं का गठन हुआ है उन्होंने क्या–क्या राजनैतिक एवं सामाजिक विकास किये हैं । राजस्थान राज्य को स्वायत राजनैतिक इकाई बनाने का विचार भारतीय संघ ने 1949 में किया था । इनको लागू करने के लिए निम्नलिखित उत्तरदायित्व थे :–

1. उस समय की राजस्थान की रियासतों को समरूप बनाकर उनको एकत्रित करना और नई राजनीतिक व्यवस्था को संविधान के अन्तर्गत समायोजित करना था ।
2. जनता का सामाजिक व आर्थिक उत्थान करना था ।
3. तानाशाही शासन के समय प्रजातन्त्र का विकास करना था ।

राजस्थान राज्य में आधुनिक समय की भांति सवैधानिक शासन की व्यवस्था नहीं थी । कुछ राज्य विधानसभायें जो जनता के आन्दोलन करने के बाद बनी वे केवल प्रतिनिधि संस्थाओं की केवल मांग थी । इन विधानसभाओं में बहुत सी कमियां थी इनकी सदस्यता का आधार सीमित था । इन विधानसभाओं के सदस्यों को मत का अधिकार उन व्यक्तियों को प्राप्त था, जिनके पास जायदाद, शिक्षा या समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त था । राजनैतिक दलों के पास विचारधारा या कार्यक्रम नहीं था ।

प्रजामण्डलों का उदय हो चुका था लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जनता को सामाजिक अत्याचारों से मुक्त कराना था । उस समय प्रैस भी अपनी आरम्भिक अवस्था में थी और यह धीरे–धीरे शासकों की जायदती को उजागर कर रही थी । इस प्रकार के वातावरण में जो कानून बनाये गये उनका उद्देश्य सुधार लाना नहीं था बल्कि आन्दोलन करने वाली जनता को शान्त करना था । उस समय बनाये गये कानूनों से यह संकेत मिलता था कि सामाजिक व आर्थिक सुधारों को ज्यादा देर तक नहीं टाला जा सकता था । क्योंकि सामन्ती व्यवस्था में दरार पड़नी आरम्भ हो गई थी ।

सामाजिक व्यवस्था में कार्यकारी, वैधानिक और न्यायियिक शक्तियाँ शासक के पास नहीं थी । इसलिए वैधानिक संस्थायें स्वतन्त्र ससंदीय सस्थाओं की तरह काम नहीं कर सकती थी और न ही उनके पास किसी प्रकार की आचारसंहिता थी । 1940 में जयपुर एवं जोधपुर विधान सभाओं में अध्यक्ष का पद स्थापित किया गया उनका स्थान भी ससंदीय परम्पराओं के अनुरूप

नहीं था ।

इस प्रकार की स्थिति में राजस्थान में तेजी से परिवर्तन लाना सम्भव नहीं था । इस दौरान में जो अन्तरिम सरकार की स्थापना की गई वह भी वर्ष 1952 तक कोई भी उदारवादी सुधार लागू करने में प्रगति नहीं कर सकी ।

राजस्थान में फैली कुरीतियों एवं परम्परागत प्रथाओं का अन्त करने के लिए राज्य में ससंदीय व्यवस्था को आंकना बहुत जरूरी हो गया था । राजस्थान राज्य में परिवर्तन मुख्य रूप से प्रथम विधानसभा के समय 1952 में धीरे–धीरे आरम्भ हुआ । जैसे कृषि सुधार, बालश्रमिक सुधार आदि । इस समय इस कारण परिवर्तन हुआ क्योंकि इनके सदस्यों को जनता ने स्वयं चुना था । अब जनता को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया था । इसमें समाज के सभी वर्गोंका प्रतिनिधित्व था । जैसे – भूतपूर्व सैनिक, कृषक व समाज सुधारक आदि । इन प्रतिनिधियों का सभी क्षेत्रों से सम्बन्ध था । इस कारण उन्होंने सारे राज्य की प्रगति करना आरम्भ कर दिया । जो पुरानी असमानता थी जैसे ऊच–नीच, अमीर–गरीब आदि में कमी आई। इसमें साथ–साथ पीछड़े वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता दी गई ।

पहली विधानसभा का कार्य था समाज में फैली असमानता को समाप्त करना या इसके लिए इस विधानसभा ने काफी कानून बनाये व यह संविधान के अनुसार ही अपना कार्य करने लगी । प्रथम विधानसभाओं के कार्यों को करने के समय काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें कोई निश्चित कानून नहीं था व राजस्थान में इस से पहले परिपाटियों के आधार पर शासन किया जाता था । राज्य विधानसभा का मुख्य कार्य यह भी होता है कि वह वैधानिक प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों में ससंदीय संघ के अनुसार एकरूपता कायम करें । अब तक जो विधानसभायें स्थापित हुई है उनमें से सभी ने पूरी यह कोशिश की है कि जो कार्य किया जाये ससंदीय प्रणाली के अनुरूप ही हो ।

राजस्थान राज्य का इन 11 विधानसभाओं के अन्तर्गत काफी विकास हुआ है । समाज की लगभग सभी प्रथाएं समाप्त हो गई हैं । समाज से इन विधानसभाओं ने जमींदार प्रथा, बिश्वदारी व्यवस्था व अनेक कृषक कानूनों को बदल कर भूमि को सगंठित किया । इस प्रकार इन विधानसभाओं ने अपने समय में फैली हर कुरीति को खत्म करने की ओर ज्यादा ध्यान दिया।

दसवीं एवं ग्याहरवीं विधानसभा को अपने कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाईयों का

सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि अब तक जनता व प्रतिनिधि दोनों ही काफी जागरूक हो गये थे । जनता अपना हित अच्छी प्रकार से समझने लग गई थी । जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई थी । इसमें साथ–साथ जनता अपने कर्त्तव्य को भी नहीं भूलती है । इस कारण इन विधानसभाओं के समय तक समाज से लगभग पुरानी प्रथाओं की समाप्ति हो चुकी थी । 10वीं एवं 11वीं विधानसभा के सामने जो समस्या थी वह अकाल व सूखे की थी । इस कारण ये विधानसभाएं सुचारू रूप से अपना कार्य करने का प्रयत्न करती रही हैं । 10वीं एवं 11वीं विधानसभा के दौरान भी विपक्ष काफी तेज हो गया था कि वह अपने विचार व सरकार भी आलोचकों को जनता के समक्ष स्पष्ट शब्दों में करता है । विपक्ष जब सत्ता में नहीं होता तो वह संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है ।

इन विधानसभाओं में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि प्रश्नकाल के समय में स्थानीय मुद्दों को उठाया जाता है । स्थगन प्रस्ताव भी संवैधानिक तरीके से नहीं रखे जाते व काम रोको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का भी काफी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है । सम्पूर्ण विधानसभाओं के कार्यकाल के दौरान उनके कार्यों का निरीक्षण करें तो पता चलता है कि कई बार त्यागपत्र दे चुके अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के विरूद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता रहा है । राजप्रमुख के पद की समाप्ति प्रथम विधानसभा के दौरान हुई थी । उसी समय राज्यपाल की नियुक्ति की गई । जिससे न केवल अन्तिम समान्ती व्यवस्था से छुटकारा मिला बल्कि यह राज्य दूसरे राज्य की तरह भारत के प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया ।

जहाँ तक विधायकों के व्यवहार का सम्बन्ध है वे अपना कार्य वोट लेते समय तक ही याद रखते हैं बाद में वे अपने क्षेत्र तक को भूल जाते हैं । विधायकों पर यह कहावत चरितार्थ होती है कि उनकी स्थिति बरसाती मेडकों की भांति ही है । इसमें कोई शक नहीं है ।

10वीं एवं 11वीं विधानसभा के समय काफी विकास हुआ है । ये विधानसभायें समाज के सामने एक प्रकार का उपकरण सिद्ध हुई है । इन विधानसभाओं के समय काफी समाज सुधार हुआ। इन विधानसभाओं के समय सूखे व अकाल की स्थिति एक भयंकर समस्या थी जो कि सत्तारूढ़ दल काफी चतुराई से अपनी भूमिका को निभा रहा है । इन विधानसभाओं के दौरान शिक्षा, सतीप्रथा, मृत्युभोज निवारण, गोवध समाप्ति आदि अधिनियमों को पारित किया गया ।

इन विधानसभाओं के समय इतना विकास होने का मुख्य कारण हैं कि इन दोनों विधानसभाओं में अलग–अलग दल का शासन था 10वीं विधानसभा के समय भाजपा सत्ता में थी व 11वीं विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में है । इस कारण समाज का विकास ज्यादा हुआ । जब राज्य में बदल–बदल कर सरकार आती हैं तो वह जनता की ओर ज्यादा ध्यान देती है । सत्ता के विकेन्द्रीकरण से जनता में राजनैतिक जागरूकता पैदा हुई है । देहाती जनता में राजनैतिक भागीदारी बढ़ी है ।

10वीं विधानसभाओं में भाजपा सत्ता में थी इसके सदस्यों की संख्या 200 थी । निर्दलीय सदस्य कम थे । कांग्रेस विरोधी दल था जो कि काफी मजबूत था । इस विधानसभा में कृषकों का बहुमत ज्यादा था । इस कारण भी भूमि सम्बन्धी सुधारों पर जोर दिया गया था । इस विधानसभा के समय शिक्षा पर भी ज्यादा जोर दिया गया । अध्यक्ष भी अपना तालमेल सदस्यों से ठीक रखता था । 10वीं विधानसभा के समय समितियाँ काफी सक्रिय हो गई थी । इस समय कुल 16 समितियाँ कार्य कर रही थी ।

सदन का लगभग सारा कार्य इन समितियों के द्वारा ही पूरा किया जाता है । समितियाँ सदन के कान व आँखें हैं । 10वीं विधानसभा में परामर्शदात्री समिति व आंकलन समितियाँ काफी कार्य किया है । ये समितियाँ काफी सक्रिय हो गई थी । सदन में राज्यपाल का भाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है । 10वीं विधानसभा के समय राज्यपाल ने कई बार सदन को सम्बोधित किया है ।

11वीं विधानसभा में सत्ता एकबार फिर कांग्रेस के पास आई । कांग्रेस इस बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई । इस समय कांग्रेस पार्टी को 155 सीटें प्राप्त हुई । विपक्ष में भाजपा उभर कर आई । इस समय अध्यक्ष ने सदस्यों में मध्य काफी तालमेल रखा । राज्यपाल ने भी सदन में कई बार उपस्थित होकर सम्बोधित किया । इस समय समितियाँ अपना कार्य ठीक ढंग से कर रही हैं । सभा का मार्गदर्शन समितियों के द्वारा ही किया जाता है । 11वीं विधान सभा के दौरान समितियों की संख्या 17 हो गई है । 'पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति' का गठन 11वीं विधानसभा के दौरान हुआ है । इसने अभी तक सही ढ़ंग से कार्य करना आरम्भ नहीं किया है। इस प्रकार समितियाँ सदन के काफी भार को कम करती हैं ।

दोनों विधानसभाओं की तुलनात्मक ढ़ंग से अध्ययन करने पर पता चलता है कि 10वीं

विधानसभा में भूमि व कृषक सम्बन्धी सुधारों पर ज्यादा जोर दिया जबकि 11वीं विधानसभा ने सामाजिक प्रगति सम्बन्धित सुधारों पर ज्यादा ध्यान दिया है । वैसे इन दोनों विधानसभाओं के दौरान अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं किया गया । इन विधानसभाओं के दौरान स्थानीय मुद्दों की बजाय राज्य मुद्दों पर ध्यान दिया गया है । लोगों का ध्यान भी विधानसभाओं के प्रति बढ़ा है व जनता अब इनमें चुनावों में बढ़–चढ़ कर भाग लेने लगी है । नये कानून बनाने की बजाय विधानसभा पुराने कानूनों पर ही संशोधन करती है ।

10वीं एवं 11वीं विधानसभा ने समाज में फैली काफी कुरीतियों का जड़ से नाश किया व समाज के सामने जागरूक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की कोशिश करता रहा । इस समय काफी प्रस्तावों को पास किया गया व जो प्रतिनिधियों को ठीक नहीं लगे वे रोक दिये गये हैं । इस प्रकार विधानसभाओं की कार्यप्रणाली चलती रहती है । ये समय–समय पर जनता की कठिनाईयों को दूर करते रहे हैं । शून्यकाल व आधे घण्टे की परिपाटी ने भी नया रूप लिया है । जिसके अन्तर्गत काफी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जाता है । जो मुद्दे लोकमहत्व के नहीं हैं उन पर भी विचार किया जाता है । इस प्रकार राज्य विधानसभाएं समाज के लिए बहुत से कानून बनाती है ।

राज्य विधानसभायें वर्तमान समय में समितियां उपकरण में रूप में कार्य करती है । ये समाज में दर्पण है । जनता के लिए ये अस्त्र से कम नहीं है । जनता इनके माध्यम से अपना विकास करती है । इस प्रकार जनता इनके प्रति जागरूकता दिखाने लगी है । ये समाज में फैली हर बुराईयों पर ध्यान देते हुए उन्हें खत्म करने का कार्य करती है । जनता स्वयं शासन में भाग न लेकर अपना प्रतिनिधि भेजती है । जोकि जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं । इस प्रकार राजस्थान राज्य ने पहले की अपेक्षा काफी विकास हुआ है । विधानसभाओं का इनके काफी योगदान रहा है । विधानसभाओं के द्वारा ही राज्य की जनता में चेतना आई है। राज्य विधानसभा जनता व नेताओं के मध्य कड़ी है । यह एक दर्पण का कार्य करती है । वर्तमान विधानसभा का अध्ययन करने से पता चला है कि उनके पास कार्य का भार अधिक है । इसको कम करने के लिए विधानपरिषद् की स्थापना की जानी चाहिए । राजस्थान राज्य के लिए राज्य विधानपरिषद् बहुत आवश्यक है जिससे विधानसभा का कार्यभार कम हो जायेगा व हर मुद्दे पर खुलकर विचार किया जा सकता है ।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है । यह कई उप–व्यवस्थाओं से बना है । इस व्यवस्था को पूरी तरह समझने के लिये, इसकी उप–व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है । राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का ढ़ांचा इस प्रकार है कि अधिकांश राजनीतिक गतिविधियाँ राज्यों के द्वारा संचालित की जाती है । इस कारण राज्य की राजनीति का अध्ययन सर्वोप्रिय होता जा रहा है ।

इस शोध ग्रन्थ में राजस्थान विधानसभा पर शोधकार्य किया गया है । इस शोध ग्रन्थ का पूरा कार्य राजस्थान राज्य की 10वीं एवं 11वीं विधानसभा पर आधारित है । क्योंकि इन दोनों समय में अलग–अलग दलों की सरकार बनी है । राजस्थान राज्य में 10वीं विधानसभा के समय भाजपा की सरकार थी व 11वीं (वर्तमान) विधानसभा के दौरान कांग्रेस की सरकार है ।

वर्तमान राजस्थान राज्य उन छोटी–बड़ी रियासतों का एक समूह है जो आजादी से पूर्व राजस्थान में विद्यमान थी । इन रियासतों में सन् 1947 से पूर्व देश का स्वाधीनता संघर्ष कांग्रेस के नाम पर नहीं, देशीय राज्य लोकपरिषद् के माध्यम से चलाया जाता है । देश की स्वाधीनता के साथ ही राज्यों में लोकप्रिय मंत्रीमण्डलों की स्थापना का क्रम आरम्भ हो गया । जयपुर, जोधपुर आदि रियासतों में लोकप्रिय मंत्रिमण्डल बनाए गए उदयपुर, कोटा आदि में छोटा राजस्थान के नाम से राज्य निर्माण हुआ और भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, मत्स्य राज्य के रूप में बने और अन्ततोगत्वा 7 अप्रेल, 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ । गत बीस वर्षों में देश में जो विकास कार्य हुए, उनके आधार पर देश के अनेक राज्य काफी आगे बढ़ें । परन्तु दुर्भाग्य है कि राजस्थान राज्य आज भी पिछड़ा हुआ है । क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य है । परन्तु अनेक कारणों में राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ।

राजस्थान में राजनैतिक चेतना और प्रजातान्त्रिक संस्थाएँ भारत के दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा कम विकसित हो सकी है । प्रथम आम चुनाव से पूर्व राजस्थान में प्रथम तीन सरकार पण्डित हीरा लाल शास्त्री द्वारा बनाई गई । अन्तरिम काल के लिए वेंकटाचार्य ने भी 1951 में कुछ महीनों के लिए सरकार गठित की तथा बाद में जयनारायण व्यास ने (1951–52) नेतृत्व सम्भाला । मार्च, 1952 में टीकाराम पालीवाल ने सरकार गठित की 1 नवम्बर 1954 में व्यास ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया । उनका स्थान मोहनलाल सुखाड़िया ने ग्रहण किया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने राज्य की राजनीति को अपेक्षित स्थायित्व प्रदान किया और प्रजातान्त्रिक संरचनाओं के क्रमिक विकास के लिए परिस्थितियाँ पैदा की । राजस्थान की राजनीति में सुखाड़िया का उल्लेखनीय स्थान इसलिए है क्योंकि उन्होंनें राज्य के सभी विरोधी गुटों में सन्तुलनकी व्याख्या की । 1969 में राष्ट्रपति के चुनावों के समय श्री सुखाड़िया का दुष्टिकोण अधिक इन्दिरा समर्थक नहीं था । अतः केन्द्रीय नेतृत्व में उनके प्रति अविश्वास पैदा हुआ और कांग्रेस की अन्तरिम गुटबन्दी ने सुखाड़िया को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया । पांचवे आम चुनाव से पूर्व राज्य का नेतृत्व बैरकतुल्ला खाँ को सौप दिया गया । उनके आक्स्मिक निधन के बाद नेतृत्व हरिदेव जोशी के हाथ में आया । मार्च 1977 के लोकसभाई चुनावों में राजस्थान की 25 सीटों में से केवल एक सीट कांग्रेस को मिली भी और जून, 1977 के विध ानसभाई चुनावों में कांग्रेस राजस्थान में भी अपनी सत्ता खो बैठी और जनता पार्टी की सरकार भैरोसिंह शेखावत के नेतृत्व में गठित की गई । 1992 में भाजपा सत्ता में आई व 1997 में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ ।

राजस्थान राज्य में 10वीं विधानसभा का गठन 4.10.1994 भी हुआ । इसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई । इस चुनाव में भाजपा को कुल 200 सीटों में से 99 सीट व कांग्रेस जो कि दसवीं विधानसभा में विरोधी दल था उसको 76 सीटे प्राप्त हुई । 21 उम्मीदवारों को निर्दलीय, जनता दल को 3 और मार्क्सवादी सिर्फ एक सीट पर ही अपना अधिकार जमा सकी। इस प्रकार राजस्थान की दसवीं विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत थे । उनके समय में इस विधानसभा ने कई महत्वपूर्ण निर्णय व अधिनियमों को पारित किया ।

वर्तमान समय के राजस्थान राज्य में 11वीं विधानसभा का गठन किया गया है । इस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है व भाजपा एक विरोधी दल के रूप में सक्रिय है । 11वीं राजस्थान विधानसभा का गठन 1997 में हुआ था । इसमें कुल 200 सीटों में से कांग्रेस को 155 सीट प्राप्त हुई जो कि कुल सीटों का तीन हिस्सा प्राप्त हुआ । भाजपा को कुल 30 सीट ही प्राप्त हुई । इस समय निर्दलीय उम्मीदवारों के स्थान में कमी आई व उन्हें कुल 8 सीट ही प्राप्त हुई । जनता दल को 3, मार्क्सवादी को एक, राष्ट्रीय जनता दल को भी एक सीट प्राप्त हुई ।

राजस्थान राज्य में 29 मार्च 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ । 1952 से 2002 तक

राजस्थान राज्य में काफी सुधार हुए व राज्य की राजनीति में काफी उतार–चढ़ाव आये । इन सबका वर्णन इस शोध ग्रन्थ में दिया गया है । इस शोध ग्रन्थ में राजस्थान राज्य की राजनीति पर पूरा प्रकाश डाला गया है कि राजस्थान विधानसभा में सदस्य संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं ।

राजस्थान राज्य में प्रतिनिधित्व का संख्यागत विकास किस प्रकार से हुआ है व किन–किन आन्दोलनों के बाद ही विधानसभा का गठन हुआ है । इनका वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है ।

राजस्थान राज्य की विधानसभा का गठन व सदस्यता किस प्रकार की है । प्रजातन्त्र व्यवस्था में विधानमण्डल समाज के इर्द–गिर्द घूमते हैं । विधायक एक यन्त्र की भांति कार्य करते हैं । जोकि जनता की अच्छाई एवं बुराईयों को नापते हैं । इस कार्य के लिये विधायक एक भवन के मुख्य स्तम्भ की भांति अपना कार्य करते हैं । इसके बिना कोई भी व्यवस्था कोई भी संवैधानिक क्रम ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता ।

कार्यकारिणी विधानसभा के द्वारा जनता एवं शासन करने वालों के मध्य जो दूरी की उसको लगभग खत्म कर दिया गया है । यह सब विधायकों के द्वारा सम्भव हुआ है क्योंकि यह जनता के द्वारा सम्भव हुआ है क्योंकि यह जनता के द्वारा चुने जाते हैं । विधायक ही आगे जनता के विचारों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

इससे ज्यादा राज्य विधानसभा राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । विधायक नीतियाँ बनाते हैं उनको लागू करते हैं इसके साथ–साथ विधायक राज्य के कानून एवं नीतियों को राज्य सरकार द्वारा लागू करवाते हैं ।

विधानसभा एक ऐसा प्रशिक्षण स्थल है जो कि भविष्य के नेताओं को प्रशिक्षित करती है। वे इस प्रकार की सरकार को हटा देते हैं जो कि जनता का विश्वास खो चुकी होती है व दूसरे नेता को बहुमत उपलब्ध करवाते हैं ।

विधानसभा का अध्यक्ष किस प्रकार से चुना जाता है व वह सदन में किस प्रकार से शान्ति व अनुशासन को बनाये रखता है अध्यक्ष द्वारा अपने पद से दिये गये निर्णयों का भी इस शोध ग्रन्थ से अध्ययन किया गया है ।

राज्यपाल किस प्रकार से आपात्काल को लागू करवा सकता है । सदन को किस प्रकार

से सम्बोधित करता है व अध्यादेश किस प्रकार से जारी करता है । इसका भी वर्णन किया गया है ।

विधानसभा में कानून बनाने के लिए एक बिल को भिन्न–भिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है व राज्यपाल अपनी स्वीकृत बिल को किस प्रकार से प्रयास करता है का सम्पूर्ण वर्णन किया गया है । ससंदीय प्रणाली जैसे ध्यानाकर्षण, प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अल्पसूचना सम्बन्धित प्रस्ताव, तारांकित व अतारांकित प्रश्नों का पूर्ण अध्ययन किया गया है । आधे घण्टे का समय व शून्यकाल की परिपाटी का महत्व व अवगुण पर प्रकाश डाला गया है ।

समितियाँ सदन की आंखें व कान हैं जोकि विधानसभा के कार्यभार को कम करती है। वर्तमान समय में विधानसभा में 17 राजनैतिक समितियाँ हैं ।

इन विधानसभाओं का अध्ययन इस आधार पर किया गया है कि विपक्ष इसमें कितनी भूमिका निभता है । विपक्ष हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता व चतुराई से कार्य करता है । वह सरकार की आलोचना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है । वह सरकार की कमियों को जनता के सामने उजागर करना चाहता है । वह हमेशा यह सिद्ध करना चाहता है कि सरकार गलत है व हम सही हैं ।

वर्तमान विधानसभाऐं सामाजिक उपकरण के रूप में सही साबित हुई है । क्योंकि 10वीं एवं 11वीं विधानसभा में समाज से सम्बन्धित काफी सुधार किया गया है । इन विधानसभाओं के समय शिक्ष, कृषक, पुरानी कुरीतियों को खत्म करना आदि कानून बनाये गये हैं । इस कारण राज्य की विधानसभाएं समाज व संघ सरकार के लिए काफी उपयोगी व जरूरी है । राजस्थान राज्य में विधानसभा के कार्यभार को व्यय करने के लिए एक विधानपरिषद् का गठन होना बहुत आवश्यक है क्योंकि कार्यभार की अधिकता के कारण यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने के काफी समस्याओं का सामना करती है ।